न्यायालय यशवन्त भाकर, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 3/2018
मेघराज पुत्र शिव प्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी बीठनोक हाल कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

1 दाउलाल पुत्र शिवप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी दुजारी गली बिन्नाणी चौक बीकानेर

2 श्रीमति रतन देवी पत्नी स्व0 मोडाराम जाति ब्राहम्ण पत्नी तहसील
3 प्रेमरतन
4 राजकुमार
5 मु0 मन्जू
6 मु0 भंवरी
पिसरान स्व0 मोडाराम जाति ब्राहम्ण निवासी दुजारी गली बिन्नाणी चौक, बीकानरे

7 श्रीमति राधा देवी पत्नी रघुनाथ जी जाति ब्राहम्ण
8 मूलचन्द
9 मु0 कुसुम
10 विनोद देवी
पिसरान स्व0 रघुनाथ जी निवासीगण दुजारी गली बिन्नाणी चौक बीकानेर

11 राजेन्द्र कुमार पुत्र बुली देवी
12 सुशील कुमार पुत्र बुली देवी
जाति ब्राहम्ण निवासी भट्टडों का चौक बीकानेर

13 श्रीमति सीमा देवी पत्नि महेश कुमार

14 राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत।

15 राजेन्द्र कुमार पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी दुजारी गली बिन्नाणी चौक बीकानेर — रेसपोडेन्ट्स

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलान्ट।
2. श्री रविराजसिंह भाटी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 13
3. पेरोकार राज राज्य की ओर से।
4. श्री मेघसिंह भाटी, प्रत्यर्थी संख्या 15

—: निर्णय :—

दिनांक :—20— 8—2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत—1 की आज्ञा दिनांक 15—1—2007 से व्यथित होकर के प्रस्तुत की गई है जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 1963 स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने तथा अपील मंजूर करने बाबत।

Scanned by CamScanner

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि इंतकाल सं0 1963 दिनांक 15.1.2007 ग्राम बीठनोक खिलाफ इंसाफ, कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट के पिता श्री शिवप्रताप पुत्र मदनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बीठनोक के नाम पुश्तैनी मिसल बन्दोबस्ती भूमि ग्राम बीठनोक के खसरा न0 168 मे 55.10 बीघा तथा खसरा न0 298 मे 45.02 बीघा गैर खातेदारी कृषि भूमि हैं।

3 अपीलांट के पिता शिवप्रताप पुत्र मदन गोपाल का देहांत होने पर विरासतन नामान्तरकरण सं0 1963 खोला गया। जिसमे कटिंग, टेम्परिंग कर अपीलान्ट के सही नाम मेघराज के स्थान पर मेघाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि वारिस प्रमाण पत्र मे अपीलान्ट का सही नाम मेघराज पुत्र शिवप्रताप अंकित है। जिससे नामान्तरण सं0 1963 का कानून, विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4 नामान्तरकरण सं0 1963 के गलत भरे जाने से पहले तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत न0 1 मे प्रार्थना पत्र के साथ लगे दस्तावेज वारिस प्रमाण पत्र पर कोई गौर नही किया और सरसरी तौर पर ही नामान्तरकरण को तस्दीक कर दिया जो रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त योग्य है। नामानतरकरण सं0 1963 को तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत न0 1 ने सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नही दिया। तमाम कार्यवाही सरासर बाला–बाला ही की गई जो कानून विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5 दिनांक 23.1.2018 को अपीलान्ट किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पटवारी हल्का के पास गया तो नामान्तरण सं0 1963 के गलत भरे जाने की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। अतः अपील पूर्ण कोर्ट फीस, अन्दर मियाद तथा समाअत अदालतवाला के प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि इन्तकाल सं0 1963 दिनांक 15.1.2007 ग्राम बीठनोक निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

6 इस अपील के प्रत्यर्थीगण को नोटिस करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 की ओर से श्री रविराज सिंह भाटी, एड्वोकेट उपस्थित आए राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से श्री मेघसिंह भाटी उपस्थित आए और अपने अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किये। अपीलमीमो मे अपीलान्ट मेघराज पुत्र शिवप्रसाद के स्थान पर शिवप्रताप तथा रेस्पोडेन्ट सं0 10 गु. बेला के स्थान पर विनोद देवी आदेश दिनांक 26.3.18 से स्थापित किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 15 को आदेश दिनांक 26.3.18 से पक्षकार स्थापित किया गया।

7 मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत पररपर विरोधी तर्कों को सुना है एवं उन पर विचारण किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है।

8 सर्वप्रथम अपील के मियाद बिन्दु पर निर्णय दिया जाता है, कि प्रस्तुत अपील उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 की आज्ञा दिनांक 15–1–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14–2–2018 को प्रस्तुत की गई है जो करीब 11 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गई है जबकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की 30 दिवस की अवधि कानून में निर्धारित कर रखी

Scanned by CamScanner

है। इससे स्पष्ट है कि अपील समय–सीमा से बाधित है। अपीलार्थीगण की ओर से दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमें देरी के कारणों को लिखा है जिसके खण्डन में कोई भी प्रति शपथ पत्र विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तथ्य अखण्डित रह जाते है तथा देरी के सन्तोषप्रद कारण अपीलार्थी ऐसी स्थिति में दफा 5 मियाद कानून का फायदा उठाने के अपीलार्थी अधिकारी हो जाते है और इस आधार पर दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रथम जानकारी के आधार पर मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जाती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा फार्म न. 3 के साथ नगर निगम बीकानेर के द्वारा जारी रजिस्ट्रैशन सं0 311001228 दिनांक 8.3.2011 गोडाराम का जिसमें पिता का नाम शिवप्रताप पुरोहित अंकित हैं एवं रजिस्ट्रैशन सं0 30603788 दिनांक 28.9.2006 से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे शिवप्रताप पुरोहित पुत्र मदनगोपाल पुरोहित अंकित हैं तथा नगर निगम द्वारा जायज वारिस प्रमाण पत्र मे मेघराज पुरोहित अंकित हैं। इसके अलावा वोटर आई.डी. कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति तथा आधार कार्ड आदि की प्रति पेश की हैं। जिससे इंतकाल मे कॉलम सं0 9 मे मेघाराम अंकित किया गया हैं जिसमे कांट छांट की हुई हैं। जिससे सही नाम स्पष्ट रूप से पठनीय नही हैं।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल सं0 1963 दिनांक 15.1.2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट का सही नाम मेघराज मानते हुए रिकार्ड मे दुरूस्त किया जावे। निर्णय की एक प्रति उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

10 निर्णय आज दिनांक 20–8–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
कलक्टर एवं
उधायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

उपायुक्त उपनिवेशन
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Scanned by CamScanner